भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 14
उत्तर देने की तारीख 24 फरवरी, 2016
05 फाल्गुन, 1937 (शक)

जनजातीय लोगों का कौशल विकास

†14. श्री बी॰ श्रीरामुलुः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनजातीय लोगों के कौशल विकास के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री राजीव प्रताप रूडी)

(क) से (ग): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सहित 18 से अधिक मंत्रालय/विभाग जनजातीय समुदाय सहित विभिन्न कौशल विकास की 40 से अधिक स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु विभिन्न आय सृजन तथा कौशल विकास कार्यक्रमों एवं अवसंरचना सृजन संबंधी जनजातीय उप-योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं-

क) कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, गैर-कृषि उद्यमों तथा वानिकी आदि के क्षेत्र में जीविकोपार्जन संभाव्यता हेतु विद्यमान जीविकोपार्जन प्रणाली का विस्तार।

ख) पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को प्राथमिक रूप से लक्षित करने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ शिक्षा की मुख्य धारा का समेकन तथा उन्हें नियोजनीय बनाना एवं आय-सृजन अवसर उपलब्ध कराना।

ग) मंत्रालय बाहरी तथा ग्रामीण गैर-फार्म सेक्टर के जॉब-मार्किट कौशल विकास हेतु युवा महिला-पुरूषों, दोनों को कौशल विकास गतिविधियों में सहायता उपलब्ध करा रहा है। इनमें निम्नलिखित व्यवसाय शामिल हैं- (i) कार्यालय प्रबंधन (ii) सोलर टेक्नीशियन/इलेक्ट्रीशियन (iii) ब्यूटीशियन (iv) हस्तशील्प (v) दिन-प्रतिदिन के निर्माण कार्य (यथा- प्लंबिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, बढ़ई आदि) के लिए अपेक्षित कौशल (vi) रेफ्रिजरेशन एवं एसी रिपेयरिंग (vii) मोबाइल रिपेयरिंग (viii) न्यूट्रीशियन (ix) आयुर्वेदिक एवं जनजातीय औषधि (x) आईटी (xi) डाटा एंट्री (xii) फेब्रिकेशन (xiii) पैरामेडिक्स तथा होम नर्स प्रशिक्षण (xiv) आटोमोबाईल ड्राईविंग और मैकेनिक्स (xv) इलेक्ट्रिक और मोटर वाइंडिंग (xvi) सिक्योरिटी गार्ड (xvii) हाउस कीपिंग एवं प्रबंधन (xviii) खुदरा प्रबंधन (xix) आतिथ्य (xx) ईको-टूरिज्म (xxi) एडवेंचर टूरिज्म।

वर्ष 2015-16 के दौरान जनजातीय व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन हेतु विभिन्न गतिविधि संचालन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित निधियां जारी की गईं-

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	गतिविधियों के नाम	जारी निधि की राशि	अभिप्रेत लाभार्थियों की संख्या (अनुमानित)
1.	कौशल विकास / व्यावसायिक प्रशिक्षण / स्वास्थ्य परिचर	284.90	88000
2.	डेयरी विकास	170.30	56000
3.	पशुधन विकास	52.22	17300
4.	मुर्गी पालन	54.91	18000
5.	मछली पालन	45.80	15000
6.	बागवानी / मधुमक्खी पालन / रेशम उत्पादन / खेती	85.24	28300
	कुल	693.37	222600

*****